राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5688/2022

राकेश भावडा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, पशुपालन, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, भरतपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, खरेरी (वेर), जिला भरतपुर।
6. यदुवेन्द्र कुमार, वर्तमान पदस्थापन पशुधन सहायक, उपकेन्द्र चेतरोडी, गरारोड़, बाड़मेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.10.2022
आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नगेन्द्र शर्मा, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय, खरैरी, वैर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.09.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान पर हुआ था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र चैतरोडी, बाडमेर निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 के स्थान पर किया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या–6 का स्थानान्तरण उपकेन्द्र चैतरोडी, बाडमेर से पशु चिकित्सालय, खरैरी, वैर, भरतपुर अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय किया गया है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर किया गया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा लम्पी वायरस की बीमारी के कारण पशुपालन विभाग के सभी कर्मचारियों के

अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 01 वर्ष की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 डॉ॰ संजय प्रभुने बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 एवं माननीय अधिकरण ने अपील संख्या 766/2020 जगदीश प्रसाद रैगर बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2020 का उद्धरण देकर ऐसे अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को अनुचित माना है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा वैर, भरतपुर में पांच नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें पशुधन सहायक के पद रिक्त है। अपीलार्थी को वहां समायोजित न कर अपीलार्थी का 800 कि.मी. दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया। अपीलार्थी के पिताजी काफी वृद्ध है, जो ह्रदय रोग से पीड़ित है, जिनका निरन्तर इलाज नरायना अस्पताल, जयपुर में चल रहा है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर पशु चिकित्सालय, खरैरी, वैर, जिला भरतपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 18.10.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या–6 का पदस्थापन किया जाना तथा उन्हें टीए/डीए नहीं दिए जाना समंजन (Accommodation) नहीं माना जा सकता है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा कोई दुर्भावना की स्थिति नहीं है। स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर लोकहित में किया गया है। अतः टीए/डीए स्वमेव ही देय होगा। अपील में वर्णित तथ्यों, व्यक्तिगत कठिनाईयों, नये पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने के कारण पद उपलब्ध होने आदि आदि के संबंध में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा अभ्यावेदन प्रस्तुत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से एक माह में नियमानुसार उचित निर्णय लिया जावे। अतः उक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य